

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ 1(4)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/११०

दिनांक : 23/01/2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- फरार व्यक्तियों एवं उद्घोषित अपराधियों के नाम निर्वाचक नामावली में से विलोपित करने के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग के आदेश क्रमांक 1993 दिनांक 15.05.2006 एवं 3517 दिनांक 20.09.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों द्वारा फरार (absconded) व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में से विलोपित करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए आयोग यह निर्देश देता है कि:-

1. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव कराया जाता है, जिसके लिए नगरपालिका अधिनियम, 2009/नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए मतदाता सूची तैयार की जाती है। प्रारूप मतदाता सूची/अन्तिम मतदाता सूची में ऐसे व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित हो सकते हैं जिनके विरुद्ध अजमानतीय वारण्ट (Non- bailable warrant) जारी किये गये हों और लम्बी अवधि तक उसका निष्पादन नहीं हो पाया हो।
2. नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13(5) के अन्तर्गत यह आवश्यक उपबंध है कि निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर करने के लिए उस संस्था के वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का साधारणतया निवासी होना चाहिए। पैरा 1 में वर्णित मामलों में यह उपधारणा (Presumption) की जा सकती है कि वह मतदाता अब निर्वाचक नामावली में दिये गये पते पर सामान्यतः निवास नहीं कर रहा है और उस स्थान का सामान्यतः निवासी नहीं रहने के कारण मतदाता के रूप में रखे जाने के योग्य नहीं रह गया है।
3. राजस्थान नगरपालिका मतदाता रजिस्ट्रेशन आदेश, 1974 का खण्ड 17A इस प्रकार है-

17A. Deletion of entries in Rolls.- If the Electoral Registration Officer for wards in a Municipality on application made to him in duplicate in Form 5 or on his own motion, is satisfied after such enquiry as he thinks fit, that any entry in an electoral roll of the ward should be deleted on the ground that the person concerned is dead or has ceased to be ordinarily resident in the ward or the person concerned is already enrolled in the current voters list of any ward of a panchayat or is otherwise not entitled to be registered in that roll, the Electoral Registration Officer shall delete the entry:

Provided that before taking any action under this clause the Electoral Registration Officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him except in the case of deletion of name of dead person.

4. जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन/अंतिम प्रकाशन के साथ ही ऐसे व्यक्तियों की सूची जिला पुलिस प्रशासन से प्राप्त कर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराये कि इन व्यक्तियों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर उनके नाम मतदाता सूची में से विलोपित किये जाएं।
5. इस संबंध में पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनके विरुद्ध अजमानतीय वारण्ट (Non- bailable warrant) जारी किये गये हैं और 6 माह से अधिक अवधि तक उनका निष्पादन नहीं हो पाया हो, पूर्ण विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को उनके द्वारा अपेक्षा किये जाने पर तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाये।
6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक से पैरा 5 में वर्णित व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर यह उपधारणा करते हुए कि ऐसे व्यक्ति उनके वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दिये गये पते पर सामान्यतः निवास नहीं कर रहे हैं, स्वप्रेरणा से उनके नाम मतदाता सूची में से नियमों में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विलोपित करने की कार्यवाही करे।

भवदीय

23/1/26
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

क्रमांक : एफ 1(4)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/911-915 दिनांक : 23/01/2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर/समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (नगरपालिका) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल करवाने हेतु।

23-01-26
(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

नाम हटाने के लिए राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974
के आदेश 17(ए) के अधीन नोटिस

प्रेषक : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (.....)

पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता
नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र

प्रेषित:

.....
.....
.....

नोटिस

महोदय / महोदया,

1. यतः अभिलेख के अनुसार, राजस्थान राज्य के
नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या
..... के क्रम सं. पर आपका नाम एक निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है : और
2. यतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह रिपोर्ट मिली है कि आप पिछले छः माह से अधिक समय से निर्वाचक नामावली में दिये गये अपने मामूली तौर पर निवास करने के स्थान से अनुपस्थित पाये गये हैं। इसलिए यह उपधारणा की जाती है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित पते पर मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है।
3. आपको सूचित किया जाता है कि निर्वाचक नामावली से आपका नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के आदेश 17(ए) के अधीन हटाने का प्रस्ताव अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस आधार पर किया जाता है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है। यदि आपके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध आपको कुछ कहना है तो आप अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक को बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष वैयक्तिक रूप से उपस्थित हो।
4. यह और सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त तारीख और समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आपका मामला, आपको और सूचित किये बिना, उक्त आदेश 17(ए) के अधीन विनिश्चित कर दिया जायेगा।

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (.....)

पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता

नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र